न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 152/2020 दायर दिनाँक 16.07.2020

वादी		प्रतिवादीगण
1. राज कुमार सिंह पुत्र किशन सिंह जाति राजपूत निवासी मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

1. श्री हीरसिंह बलारा वकील वादी

दिनाँक 05.08.2021

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि खेत खसरा संख्या 314 रकबा 54.16 बीघा, खेत खसरा संख्या 330 रकबा 17.07 बीघा कुल 72.03 बीघा वाके मौलासर स्थित है, जिसमें वादी राजकुमार सिंह का गलत नाम राजेन्द्र सिंह राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जमाबन्दी की नकल वाद के साथ पेश है।

यह है कि उक्त खेतो की खातेदारी में वादी राजकुमार सिंह के नाम के अंकन की बजाय राजेन्द्र सिंह सहव से दर्ज हो गया, जबकि वादी का सही नाम राजकुमार सिंह है तथा उसके पारिवारिक राशन कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड आदी सभी जगह राजकुमार सिंह पुत्र किशन सिंह नाम दर्ज है सभी दस्तावेजो की नकल वाद के साथ पेश है।

यह है कि उक्त खेतो की खातेदारी में वादी के नाम का गलत अंकन हो जाने के कारण सरकारी सहायता लेने व अन्य कार्यो में अड़चने आने लग गयी है। वादी अपने नाम के गलत अंकन को सही करवाना चाहता है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है –

यह है कि खेत खसरा संख्या 314, 330 वाके मौलासर की खातेदारी में वादी के नाम का गलत अंकन राजेन्द्र सिंह की बजाय राजकुमार सिंह किया जाकर राजस्व रिकर्ड में दुरूस्ती की जाने का आदेश प्रदान करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। [illegible] में वादी राजकुमार सिंह पुत्र किशन सिंह ने शपथ पत्र पेश [illegible] डीडवाना के पत्रांक 483 दिनांक 16.07.2021 के [illegible] प्राप्त [illegible] जो शामिल मिसल है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 14:59:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वकील वादी को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट अनुसार नये खसरा 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 788, 789 व पुराने खेत खसरा नम्बर 314, खसरा नम्बर 330 में खातेदार का नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र किशनसिंह की जगह राजकुमार सिंह पुत्र किशन सिंह राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद मौलासर में तहसलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार नये खसरा 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 788, 789 व पुराने खेत खसरा नम्बर 314, खसरा नम्बर 330 में खातेदार का नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र किशनसिंह की जगह राजकुमार सिंह पुत्र किशन सिंह में राजस्व रिकर्ड दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **05.08.2021** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 14:59:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या**152/2020** दायर दिनाँक **16.07.2020**

वादी		प्रतिवादीगण
1. राजकुमार सिंह पुत्र किशन सिंह जाति राजपूत निवासी मौलासर, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक **05.08.2021**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद मौलासर में तहसलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार नये खसरा 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 788, 789 व पुराने खेत खसरा नम्बर 314, खसरा नम्बर 330 में खातेदार का नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र किशनसिंह की जगह राजकुमार सिंह पुत्र किशन सिंह में राजस्व रिकर्ड दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो। नीज...........—........... मुबलिंग.............—............... बाबत.....................—.....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........—.......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **05.08.2021** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.19 14:59:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner